दूरभाष/TEL : 26962819, 26567373
(EPABX) : 26565694, 26562133
: 26565687, 26562144
: 26562134, 26562122
फैक्स/FAX : 26960629, 26529745
Website : http:/www.dsir.gov.in
(आईएसओ 9001:2008 प्रमाणित विभाग)
(AN ISO 9001:2008 CERTIFICED DEPARTMENT)

सूचना का अधिकार RIGHT TO INFORMATION

सत्यमेव जयते

भारत सरकार
विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय
वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग
टेक्नोलॉजी भवन, नया महरौली मार्ग,
नई दिल्ली - 110016
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
Department of Scientific and Industrial Research
Technology Bhavan, New Mehrauli Road,
New Delhi - 110016

सं. आरडीआई रिन्यू. इन-हाउस आर एण्ड डी(1)/2020 दिनांक: 01.07.2020

आदेश

देश में कोविड़ 19 महामारी और मार्च-अप्रैल, 2020 के दौरान राष्ट्रीय लोकडाउन को ध्यान में रखते हुए, डीएसआईआर में उद्योगों तथा वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान संगठनों (साइरोज) की विद्यमान डीएसआईआर मान्यताप्राप्त उन संस्थागत आर एण्ड डी इकाई/इकाइयों की मान्यता तथा पंजीकरण की वैधता को अपने दिनांक 2/04/2020 के आदेश के द्वारा अगले 90 दिन की अवधि अर्थात 30/06/2020 तक बढ़ाई है जिनकी वैधता 31/03/2020 से आगे नवीकरण के लिए अपेक्षित थी।

2 कोविड़ 19 महामारी के जारी रहने के कारण, वैज्ञानिक ओर औद्योगिक अनुसंधान विभाग (डीएसआईआर) द्वारा उद्योगों तथा वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान संगठनों (साइरोज) की मौजूदा मान्यताप्राप्त संस्थागत आर एण्ड डी इकाई/इकाइयों की मान्यता की वैधता जो 30/06/2020 तक वैध थी, को अगले 90 दिन की अवधि अर्थात् 30/09/2020 तक बढ़ाए जाने का निर्णय लिया गया है।

3 वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग के साथ पंजीकृत उद्योगों तथा वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान संगठनों की मौजूदा संस्थागत आर एण्ड डी इकाई/इकाइयों की पंजीकरण की वैधता जो 30/06/2020 तक वैध थी, को सरकारी अधिसूचना सं0 51/96-कस्टम दिनांक 23.07.1996; सं0 24/2007-कस्टम दिनांक 01/03.2007; सं0 43/2017-कस्टम दिनांक 30.06.2017; सं0 45/2017-सेंट्रल टैक्स (रेट) एवं 47/2017-इंटिग्रेटेड टेक्स (रेट) दिनांक 14.11.2017; सं0 09/2018 - सेंट्रल टैक्स (रेट) सं0 09/2018 यूनियन टेरीटरी टैक्स (रेट) एवं सं0 10/2018- इंटिग्रेटेड टेक्स (रेट) दिनांक 25.01.2018; तथा यथा-प्रयुक्त एवं स्टेट टेक्स (रेट) और समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचनाओं के संदर्भ में सीमा-शुल्क छूट का लाभ प्राप्त करने के प्रयोजन के लिए अगले 90 दिन की अवधि अर्थात 30.09.2020 तक बढ़ाए जाने का भी निर्णय लिया गया है।

4. डीएसआईआर - मान्यता तथा पंजीकरण के निबंधन तथा शर्तें पूर्ववत रहेंगी।

5. उद्योगों तथा साइरोज की आर एण्ड डी इकाइयों की 30.09.2020 से आगे की मान्यता तथा पंजीकरण नवीकरण विभाग द्वारा निर्धारित मौजूदा दिशानिर्देशों तथा प्रक्रिया के अनुसार प्रदान किया जाएगा।

6. यह आदेश सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

प्रभात कुमार दत्ता

डा. पी.के. दत्ता
वैज्ञानिक-'एफ' एवं प्रमुख आरडीआई
ईमेल- pkdutta@nic.in, दूरभाष- 011 26534823, 011 26590394

सेवा मे
सभी स्टेकहोल्डर्स

प्रतिलिपि

सचिव, डीएसआईआर के प्रधान निजी सचिव